बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक : 340417 दिनांक:- 01/12/2017

ग्रा0वि0- 07(विविध)ICRG-20/2017

प्रेषक,

सी0पी0 खंडूजा ,

निदेशक सामाजिक वानिकी ।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय- **महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से सम्बंधित कार्यों का प्रारूप दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में मंतव्य भेजने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयके सम्बन्ध में कहना है कि Integrated Climate Resilience Group (ICRG) Team द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) से सम्बंधित कार्यों से सम्बंधित प्रारूप दिशा-निर्देश तैयार किया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । विदित हो कि राज्य के 8 जिले के 35 प्रखंडों में ICRG Team द्वारा मनरेगा के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) से सम्बंधित कार्यों के कार्यान्वयन में मनरेगा कर्मियों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है । यद्पि ICRG अंतर्गत मात्र 8 जिले चयनित है परन्तु NRM कार्यों का कार्यान्वयन सभी जिलों में किया जाना है । इसलिए पत्र के साथ संलग्न प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) से सम्बंधित प्रारूप दिशा-निर्देश का अवलोकन जिला स्तर पर कार्यरत मनरेगा के कार्यपालक अभियंता/ सहायक अभियंता से करा लिया जाये तथा अगर कोई NRM का कार्य जो आपके जिला के लिए उपयोगी हो तथा जिसके सम्बन्ध में प्रारूप दिशा-निर्देश में चर्चा नहीं की गई है तथा उसे आप जोड़ना चाहते हैं, तो उस कार्य से सम्बंधित विवरणी विभाग को उपलब्ध कराया जाये ताकि NRM के दिशा-निर्देश में उसे शामिल किया जा सके ।

अनुरोध है कि संलग्न प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) से प्रारूप दिशा-निर्देश से सम्बंधित मंतव्य एवं जिला के लिए उपयोगी NRM का कार्य का विवरणी दिनांक 05.12.2017 तक निश्चित रूप से विभागीय ईमेल आई0डी0 के साथ-साथ rddbih.tech@gmail.com एवं director.sfor@gmail.com पर उपलब्ध करने की कृपा की जाए ।

अनुलग्नक : **यथोक्त**

विश्वासभाजन,

(सी0पी0 खंडूजा)

निदेशक सामाजिक वानिकी ।

ज्ञापांक- 340417 पटना, दिनांक- 01/12/2017

प्रतिलिपि:- सभी कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता मनरेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01.12.17

निदेशक (सा0वा0) ।